

# चौथी उत्तराखण्ड विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल डॉ० कृष्ण कांत पाल का अभिभाषण 24 मार्च, 2017

---

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं विधानसभा के सभी माननीय सदस्य,

नगाधिराज हिमालय अनन्त काल से योग, ज्ञान विज्ञान का केन्द्र ही नहीं, अपितु अपने धवल, उन्नत शिखरों के माध्यम से विश्व में ज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा है यहाँ की उपत्यकाओं में श्रेष्ठ और मनीषी योगी विज्ञान प्रसार सदैव ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का अनुसंधान, अनुशीलन और परिशीलन करते रहे हैं तथा अपने अर्जित ज्ञान के माध्यम से सम्पूर्ण मानवता को कल्याण और ईश्वर प्राप्ति की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते रहे हैं। आज भी इस देव भूमि में निर्झर कल-कल निनादिनी सरिताएं हरे-भरे वन, वन्य जीव प्रकृति के उन्मुक्त परिवेश में विहार करते हुए सम्पूर्ण विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं।

समय के चक्र ने यहाँ की कला, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान को कुछ काल से ढक सा दिया है, जिसका परिर्माण अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए यहाँ पर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे अपने

ज्ञान की श्रंखलाओं को पुनः प्रकाश में लायें, इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे और इस ज्ञान गंगा से उत्तराखण्ड को ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारत को लाभान्वित कर दें। इस क्रम में मैं चतुर्थ उत्तराखण्ड विधान सभा के प्रथम सत्र के शुभारम्भ के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक चुनौती से कम नहीं है। शिक्षा नीति की समीक्षा कर एक समान व गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाना आवश्यक है। मेरी सरकार शिक्षा व्यवस्था को एक ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कटिबद्ध है, और

- शिक्षा नीति की समीक्षा कर पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार करेगी जिससे कि वह विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो कि वर्तमान चुनौतियों को समझने और तीव्र गति से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढलने में सक्षम बना सके;
- गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध करायेगी;
- सेवारत अतिथि व संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों के समायोजन हेतु प्रयास करेगी;

- शिक्षा के व्यावसायिकरण व शैक्षिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठायेगी;
- विद्यालयों में भवन, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पेयजल आदि सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रयास करेगी;
- सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठायेगी;
- संस्कृत, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष व कर्मकांड के अध्ययन व शोध को बढ़ावा देगी;
- शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों की समस्याओं का गहनता से परीक्षण कर समाधान खोजेगी;
- प्रत्येक जनपद में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलेगी;

आम जनता की पहुंच वाली स्वास्थ्य प्रणाली के गठन को मेरी सरकार प्राथमिकता देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उत्तराखंड का जन-जन किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के उत्थान के लिए भी समुचित कदम उठायेगी—

मेरी सरकार द्वारा 108 सेवा को अधिक सुदृढ़ व सशक्त किया जाएगा, इसके अतिरिक्त;

- सचल चिकित्सा वाहन व्यवस्था को सुदृढ़ कर वाहनों की संख्या बढ़ायी जाएगी;
- सरकारी अस्पताल आधुनिक और पूर्ण सुविधा संपन्न बनाये जाएंगे;
- टेली-मेडिसीन की व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी;
- राज्य में वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेजों को सुविधासंपन्न बनाने के साथ-साथ नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रयास किये जाएंगे
- बी0पी0एल0 व आयकर के दायरे में न आने वाले परिवारों को स्वास्थ्य कल्याण कार्ड दिया जाएगा;
- आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नैचुरोपैथी आदि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा;
- चिकित्सकों व अस्पतालों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी;
- शिशु व महिला स्वास्थ्य के लिए कारगर कदम उठाये जाएंगे;
- राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी एक बड़ी समस्या है; इस समस्या से

छुटकारा पाने के लिए गंभीर व कारगर पहल की जाएगी;

- पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार ट्रॉमा सेन्टर खोले जाएंगे
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य चिकित्सा केन्द्र खोले जायेंगे, जिनमें निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करायी जायेंगी।

देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन की असीम सम्भावनाएं हैं। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जो एक राज्य को पर्यटन में अग्रणी बनाने के लिए जरूरी है। आज उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। मेरी सरकार पर्यटन, कला, संस्कृति और तीर्थाटन के लिए एक सुदृढ़ नीति बनाएगी, जिससे देवभूमि का सम्मान पूरे विश्व में हो सकेगा।

मेरी सरकार द्वारा इस क्रम में :-

- राज्य में प्रचलित बीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अतिरिक्त पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से एक

समेकित नवीन पर्यटन योजना को भी राज्य सरकार द्वारा चलायेगी;

- नए पर्यटन क्षेत्रों/स्थलों का चिन्हीकरण कर आधारभूत ढाँचे का निर्माण किया जाएगा;
- पर्यटन सर्किट के साथ-साथ प्राकृतिक उपजों व स्थानीय कौशल पर आधारित हस्त शिल्प की ओर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।
- नदियों, झीलों और बाँधों में जल क्रीड़ा व नौकायन प्रारम्भ कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा;
- पर्वतीय क्षेत्रों में वीरान पड़े घरों को पर्यटक सुविधाओं से सुसज्जित कराने के लिए होम-स्टे जैसी योजनाओं को प्रभावकारी बनाया जाएगा;
- इको टूरिज्म, कार्बेट सर्किट, कुमाऊँ हेरिटेज, जनजातीय संस्कृति पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे;
- मेडिकल टूरिज्म को विकसित करने के लिए हैल्थ रिजॉर्ट्स और योग तथा आयुर्वेद आधारित केन्द्रों की स्थापना की जाएगी;
- पर्यटन गाइड हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी;

- तीर्थस्थलों के विकास के साथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा;
- प्राचीन मंदिरों व देवालयों के रख-रखाव व जीर्णोद्धार के लिए ठोस पहल की जाएगी तथा तीर्थाटन की दृष्टि से राज्य के सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर आधुनिक सभी आधारभूत सुविधाओं का सृजन कर पुराने धामों का विकास किया जायेगा तथा यथावश्यक नये धामों का निर्माण करेगी;
- मध्य हिमालयी क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर योग अभ्यास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी;
- उत्तराखंड की लोक संस्कृति, गायन शैली, नृत्य, वाद्य यंत्रों के संरक्षण-संवर्धन के साथ-साथ स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

फलोत्पादन, साग-सब्जी, जड़ी-बूटी उत्पादन आदि के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की दिशा बदली जा सकती है। गन्ना किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान कर गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में बढ़त प्राप्त की जा सकती है। पशुपालन की ओर ध्यान देकर स्वरोजगार की पहल को गति मिलेगी। मेरी सरकार कृषि व पशुपालन क्षेत्र में नई पहल कर कृषि को विकास का मुख्य आधार बनाएगी;

- कृषि क्षेत्र को रोजगारोन्मुखी और लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा;
- राज्य के कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये राज्य की कृषि भूमि का सर्वे कराकर ऐसी अनुसंधान प्रणाली विकसित की जायेगी जिससे फसल एवं फलदार वृक्षों के लिये कौन सी भूमि किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है तथा किस फसल का उत्पादन किस क्षेत्र में बेहतर किया जा सकता है, ज्ञात हो सके ताकि किसानों को उसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- बंजर भूमि विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी;
- कृषि भूमि संरक्षण के लिए दीर्घकालिक व ठोस पहल की जाएगी;
- कृषि उत्पादन मंडियों का विस्तार व आधुनिकीकरण किया जाएगा;
- जैविक खेती, जड़ी-बूटी व फूलों सहित सगंध पौधों की खेती के लिए क्लस्टर बनाकर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी;



- जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए तात्कालिक व दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी;
- मछली पालन, मधुमक्खी पालन, भेड़-बकरी पालन, गौ-वंश पालन आदि को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करते हुए पशुलोक ऋषिकेष में गौ विज्ञान संस्थान की स्थापना की जायेगी;
- उन्नत बीजों व पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों से कृषि व पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाया जाएगा;
- राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जायेगी;
- सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा;
- वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित किया जाएगा;
- वन व नदियों के समुचित संरक्षण व विकास के लिए गंभीर पहल की जाएगी;
- वनाग्नि को रोकने और वन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी;
- पशुपालन और गौ-पालन के लिए विशेष प्रयास कर श्वेत क्रांति की दिशा में पहल की जाएगी;

- लघु एवं सीमांत कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगी;
- गन्ना किसानों को फसल बेचने के पन्द्रह दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा;
- बागवानी के साथ-साथ चाय बागानों के विकास की योजना बनाई जाएगी;
- कृषि उत्पादों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। किसानों की आय दोगुना करने के उपाय भी किए जायेंगे।

राज्य में बुनियादी ढाँचें में मौलिक परिवर्तन कर गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाली आबादी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। भ्रष्टाचार से मुक्त सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर बुनियादी ढाँचे का विकास करते हुए राज्य के गांव, कस्बों व शहरों को प्रगति के पथ पर लाया जाएगा; और

- राज्य में सभी को नियमित विद्युत आपूर्ति कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जायेंगे;
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर बिजली दी जाएगी;

- पेयजल समस्या से निपटने के लिए सरकार गंभीर प्रयास करेगी। स्वच्छ पीने का पानी हर घर तक पहुंचे इस दिशा में भी कड़े कदम उठाए जाएंगे;
- परंपरागत जल स्रोतों, नौले-धारों के संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे;
- जल विद्युत उत्पादन अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा किए जाने का प्रयत्न करेगी, ताकि नदियों का प्रवाह अविरल बना रहे
- जल संसाधनों के उचित प्रबंधन की रूप रेखा तैयार की जाएगी;
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जायेगा;
- बंद पड़ी विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का प्रयास किया जायेगा;
- घराट आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा;
- केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सड़क निर्माण कार्यो को गति दी जायेगी। वर्ष 2019 तक सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा;

- घनी आबादी व अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम समस्या के निदान हेतु ऊपरी पुल, पैदल यात्री पुलों और भूमिगत परिपथों का निर्माण किया जायेगा;
- पंतनगर, नैनीसैनी, गोचर व चिन्यालीसैण हवाई अड्डों की सुविधाओं में विस्तार कर नई व नियमित हवाई सेवायें शुरू करने के लिए प्रयास किये जाएंगे;
- जौलीग्रंट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी जिससे हमारे पर्यटन एवं तीर्थाटन को और बढ़ावा मिल सके।
- पर्यटन, तीर्थाटन एवं आपदा के दृष्टिगत अधिक से अधिक हैलीपैडों का निर्माण किया जाएगा;
- राज्य में नई रेल लाइनों के निर्माण व विस्तारीकरण के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति के लिए प्रयास किये जाएंगे तथा राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में रेलवे लाईन बिछाने हेतु सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में केन्द्र को पूर्ण सहयोग देगी;
- केन्द्र सरकार द्वारा विकसित किये जा रहे स्मार्ट शहरों के पैटर्न पर राज्य में न्याय पंचायत केन्द्रों पर अटल

आदर्श ग्रामों की स्थापना कर गांवों को विकसित किया जायेगा।

राज्य की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने “स्किल डेवलपमेन्ट” के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा का उपयोग राज्य व राष्ट्र निर्माण में करने का आह्वान किया है। मेरी सरकार इसे मूर्त रूप देने और युवाओं की ऊर्जा का उपयोग गाँव-गरीब के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। समस्त राज्याधीन सेवाओं हेतु भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को कड़ाई से लागू करेगी। राज्य में युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के ऐसे अवसरों का निर्माण करेगी जिससे वे अपने गांव, कस्बे और शहर में ही रह कर विकास की नई ऊचाईयों को छू सकें। इसके अतिरिक्त—

- राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए नई युवा नीति बनाई जाएगी। इसमें खेल-कूद, स्वरोजगार व रोजगार क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा;
- प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी;

- प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य के भीतर एवं दिल्ली तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;
- राज्याधीन प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क की समीक्षा कर युक्तिसंगत शुल्क निर्धारित किया जाएगा;
- राज्य में समस्त विभागों में रिक्त पदों व पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र भरा जाएगा;
- समस्त साहसिक खेलों का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा;
- राष्ट्रीय, एशियाई व ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं व प्रोत्साहन दिया जाएगा;
- राष्ट्रीय स्तर के सुविधायुक्त स्टेडियम व मिनी स्टेडियमों की स्थापना की जाएगी;
- आने वाले पाँच वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में पर्याप्त नए अवसर पैदा किए जाएंगे;
- माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी "स्वच्छ भारत अभियान" को मजबूती से लागू करने हेतु निकायों के

ढाँचे में मानकों व आबादी के अनुसार पर्यावरण मित्रों के स्थाई पद सृजित कर नई भर्तियाँ की जाएंगी;

पृथक राज्य आंदोलन में महिलाओं के योगदान और उनके त्याग व बलिदान के लिए उत्तराखण्ड का जनमानस स्वयं को उनका ऋणी मानता है। मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके कल्याण को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु—

- विभिन्न स्तरों पर महिला कल्याण, सुरक्षा व विकास को प्राथमिकता दी जाएगी;
- महिला समृद्धि के लिए स्वरोजगार हेतु उद्यमी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे;
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार व उनके सामाजिक हितों के संरक्षण के लिए दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन किया जाएगा;
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी;
- घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे;

- नारी निकेतन व महिला सुधार गृहों में महिलाओं पर हो रहे शोषण व अत्याचार को रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा;
- आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्त्री व भोजन माताओं के मानदेय की समीक्षा कर युक्ति संगत वृद्धि की जाएगी;
- शहरों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण होगा;
- देहरादून और हल्द्वानी में काम-काजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

मेरी सरकार सामाजिक समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार का विश्वास है कि अगर कोई समुदाय पीछे छूट गया तो देश/राज्य विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक न्याय आगे चलकर आर्थिक न्याय व राजनीतिक सशक्तिकरण दिलाता है। इसके लिए हम ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, जिसमें सबको शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन स्तर के समान अवसर मिल सकें।

इसलिए मेरी सरकार द्वारा:—

- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के बैक-लॉग के पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा;



- अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी;
- अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं की जांच के साथ छात्रवृत्ति के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी;
- शिल्पकला को बढ़ाने के लिए शिल्पकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा;
- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं में शिक्षा के विस्तार के आवश्यक उपाय किये जाएंगे;
- मदरसों को आधुनिक व कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा;

उद्योगों की, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार का मानना है कि अधिकाधिक पूंजी-निवेश और नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण आवश्यक है, तभी नये उद्योगों की स्थापना होगी और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। मेरी सरकार

विनिवेश व नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए यथा संभव प्रयास करेगी। इसके अतिरिक्त—

- राज्य में विनिवेश के लिए पर्यावरणीय व अन्य स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाएगा;
- राज्य में विनिवेश का वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विनिवेश मेलों का आयोजन किया जाएगा;
- रेता, बजरी, पत्थर, खनन पर एकाधिकार समाप्त कर सुस्पष्ट एवं पारदर्शी नीति बनायी जायेगी;
- अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को हस्तशिल्प और गृह उद्योगों के व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा;

मेरी सरकार सभी असंगठित श्रमिकों यथा—ढेला गाड़ी चालक, दुकानों—होटलों में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले महिला—पुरुषों, साइकिल रिक्शा चालकों, अखबार बाँटने वाले इत्यादि के हितों के संरक्षण के लिए दीन दयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना के अलावा ठोस कार्य योजना भी तैयार करेगी।

मेरी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और स्वच्छ प्रशासन देने का संकल्प लेती है। इस हेतु—

राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों की सुनवाई के लिये मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2011 में बनाये गये लोकायुक्त कानून को प्रभावी तरीके से लागू कर लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी;

- सरकारी कर्मियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता के लिए मेरी पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2011 में बनाये गये लोक सेवक स्थानांतरण अधिनियम को पुनः लागू करेगी;
- ई-गवर्नेंस लागू कर सरकार के मनमानेपन को समाप्त करेगी;
- योग्य व ईमानदार अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करेगी;
- सेवा का अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू करेगी;
- आर्थिक अपराधों के लिये विशेष न्यायालयों का गठन करेगी;
- राज्य में टेंडर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ई-टेंडरिंग की प्रणाली अपनायेगी;
- सबके लिए सुलभ व सहज न्याय सुनिश्चित कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से न्यायिक अधिकारियों के रिक्त

पदों को भरा जायेगा एवं नये न्यायालयों की स्थापना करेगी;

- विवादों के वैकल्पिक निपटारे का तंत्र विकसित कर लोक अदालत, न्यायाधिकरण व समझौता केन्द्रों की स्थापना करेगी;
- पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें अनुसंधान, अपराध नियंत्रण आधुनिक हथियारों का उपयोग, साइबर अपराध आदि के निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी;
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जायेगा और उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करेगी;
- पुलिस बल में कर्मियों के कार्यभार को देखते हुए पुलिस बल की अतिरिक्त भर्ती करेगी;
- राज्य के सभी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करके असामयिक और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करेगी;
- सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में एक स्पेशल हेल्पलाइन स्थापित करेगी;

मेरी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके आश्रितों को विविध कल्याणकारी योजनाओं में दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि की जाएगी; इस हेतु—

- पूर्व सैनिकों, अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक रोजगारपरक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा;
- प्रांतीय रक्षक दल व होमगार्ड की समस्याओं के निराकरण के प्रयास किये जाएंगे;
- सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों और पदोन्नति के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा और उनकी शिकायतों के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा;
- सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा;
- लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत आपदा प्रबन्ध तंत्र की सक्रियता व क्षमता में विस्तार किया जायेगा;
- आपदा प्रभावितों के लिए एक सुस्पष्ट व प्रभावी विस्थापन व पुनर्वास की नीति बनाई जायेगी;

- आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पुनर्निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सुदृढ़ पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी;
- उत्तराखण्ड में पलायन एक गंभीर समस्या है। इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस क्रम में नियोजन की दिशा तय की जाएगी और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा;
- नशाखोरी के बढ़ते दुष्प्रभावों के दृष्टिगत रोकथाम के लिए विशेष पहल की जाएगी;
- उत्तराखण्ड निर्माण आन्दोलन और आन्दोलनकारियों के योगदान को चिर-स्मरणीय बनाने के लिये एक वृहद म्यूजियम बनाया जाएगा;
- वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं को सरकारी बसों में किराये में आधी छूट दी जाएगी;
- वर्ष 1975-77 के आपातकाल के जेल बंदियों को राज्य के भीतर निःशुल्क यात्रा व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;
- राज्य के सभी पात्र परिवारों की रसोई को धुआँमुक्त करने हेतु निःशुल्क रसोई गैस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी;

- प्रवासी उत्तराखण्ड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश व विदेशों में बसे उत्तराखण्ड वासियों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों को उद्योग व आधारभूत ढाँचें में पूँजी निवेश व अपनी विशेषज्ञता का योगदान करने हेतु आसान व्यवस्था की जाएगी;
- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को संविधान प्रदत्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार उपलब्ध कराएगी;
- ग्राम पंचायत कार्यालयों का आधुनिकीकरण व विकास के लिये ठोस पहल की जाएगी;
- राज्य में नए सहकारी बैंकों की स्थापना की जाएगी;
- विज्ञान प्रौद्योगिकी (एस0टी0), जैव प्रौद्योगिकी (बी0टी0), व सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0), अर्थात् थ्री टी थीम को राज्य के विकास हेतु विकसित करने का प्रयास किया जाएगा;
- युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा;  
गैरसैन को राजधानी स्तर की अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित कर सबकी सहमति से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने पर मेरी सरकार शीघ्रता से विचार करेगी।

उत्तराखण्ड जिसका ध्येय सर्वांगीण विकास द्वारा सबका कल्याण करना है, जिसका लक्ष्य सुशासन से सु-राज स्थापित करना है, जनशक्ति का सहयोग जिसकी धरोहर रही है, सर्वसमावेशक विकास जिसका मार्ग रहा है, उस राज्य के राज्यपाल की हैसियत से चौथी उत्तराखण्ड विधानसभा के सभी सम्माननीय सदस्यों को इस सत्र के आरम्भ में इस सदन के जरिए संबोधन करना मेरे लिए सौभाग्य एवं आनंद का अवसर है। आप सभी के द्वारा लोकशाही प्रणालियों का पालन करने से उत्तराखण्ड राज्य ने आज विश्व में अपना प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। आने वाले दिनों में भी आप सबकी निष्ठा और परिश्रम से उत्तराखण्ड अपनी विकास यात्रा में और ऊँचा आयाम हासिल करे ऐसी अभिलाषा के साथ मैं अंतःकरण से आप सभी को शुभ कामनाएं देता हूँ।

**जय उत्तराखण्ड**

**जय हिन्द!**

.....0.....